उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

पत्र सं0: 2861–मा0सं0–03/उ0नि0लि0/2009–5(5) मा0सं0–03/2006 दिनांकः 16 जून, .2009

"कार्यालय ज्ञाप"

निगमीय कार्यालय ज्ञाप संख्या 2985–मा0सं0–03/उनिलि/2008–5(5) मा0सं0–03/2006 दिनांक 16.12.2008, जिसके द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अपट्रान इण्डिया लि0 के 108 कार्मिकों को उत्पादन निगम लि0 की सेवा में संविलीन किया गया था, के दिनांक 16.12.2008 से उत्पादन निगम लि0 में संविलियन की तिथि से वेतन निर्धारण/परिलब्धियों की आगणन हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1. (अ) दिनांक 16.12.2008 को अपट्रॉन इण्डिया लि0 के वेतनमान में अनुमन्य मूल वेतन।
   (ब) मूल वेतन का 148 प्रतिशत मँहगाई भत्ता रू0 3500/– तक मूल वेतन पाने वालों के सन्दर्भ में, 111 प्रतिशत रू0 3500/– से अधिक रू0 6000/– तक मूल वेतन पाने वालों के सन्दर्भ में किन्तु न्यूनतम रू0 5180/– तथा 96 प्रतिशत रू0 6000/– से अधिक मूल वेतन प्राप्त करने वालों के सन्दर्भ में किन्तु न्यूनतम रू0 6660/–
   (स) मूल वेतन के 40 प्रतिशत समतुल्य राशि।
   (द) प्रथम अन्तरिम सहायता की राशि रू0 100/–
   (य) द्वितीय अन्तरिम सहायता की राशि मूल वेतन का 10 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम रू0 100/–

2. उत्पादन निगम लि0 के उस पद के वेतनमान, जिस पर सम्बन्धित अपट्रॉन कार्मिक का संविलीयन किया गया है, में वेतन निर्धारण उपरोक्त प्रस्तर–01 में वर्णित राशियों के योग के समान स्तर पर और यदि समान स्तर उपलब्ध नहीं है तो अगले स्तर पर किया जायेगा।

3. यदि सम्बन्धित कर्मचारी की "वर्तमान परिलब्धियाँ" "पुनरीक्षित परिलब्धियों" से अधिक हो जाती है तो उस अन्तर को वैयक्तिक वेतन के रूप से दिया जायेगा जिसे भविष्य में वेतन वृद्धि में समायोजित कर लिया जायेगा।

4. उक्त अपट्रॉन कार्मियों के उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में संविलियन की तिथि 16.12.2008 से पूर्व की अवधि के दायित्व यथा पंचम वेतन आयोग/छठवां वेतन आयोग का अन्य किसी भी दायित्व के लिए उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 उत्तरदायी नहीं होगा। इस आशय का एक शपथ–पत्र (प्रारूप संलग्न) प्रत्येक अपट्रॉन कर्मी द्वारा रू0 10/– के नोटरी द्वारा सत्यापित नॉन जुडिशियल स्टेम्प पेपर पर देना आवश्यक होगा।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमशः 2/–

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

पत्र संख्या : 2861–मा0सं0–03/उनिलि/2009–तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को निगमीय कार्यालय ज्ञाप संख्या 2985 मा0सं0–03/उनिलि/2008–5(5) मा0सं0–03/2006 दिनांक 16.12.2008 के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)/(स्तर–2), पीपीएमएम/तापीय परिचालन/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा/वाणिज्य/आर0एण्डएम0/ईंधन/मा0सं0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
3. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 रा0वि0उ0नि0लि0, अनपरा/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/पनकी (कानपुर)/कासिमपुर (अलीगढ़)।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अधी0अभि0 (मा0सं0–01/02/04/05/06/रिफार्म/प्रशिक्षण), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, लखनऊ।
7. उप महाप्रबन्धक (चिकित्सा)/(मा0सं0), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, लखनऊ।
8. समस्त उप सचिव/अनुसचिव/अनुभाग अधि0, मानव संसाधन इकाई, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, लखनऊ।
9. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, लखनऊ।
12. कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, लखनऊ।
13. कट फाईल।

आज्ञा से,

(वीर विनोद छाबड़ा)
उप महाप्रबन्धक (मा0सं0–03)

पत्र सं0: 2861–मा0सं0–03 / उ0नि0लि0 / 09–5(5)मा0सं0–03 / 06 दिनांक 16 जून, . 2009 का संलग्नक

"शपथ–पत्र"

मैं...पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.. जिसका अपट्रॉन इण्डिया लि0 से उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में दिनांक 16.12.2008 को ....पद पर संविलियन हुआ है, संविलीयन किये जाने के परिप्रेक्ष्य में शपथपूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में मेरे संविलीयन के.................. ....पद पर संविलीयन की तिथि...से उत्पादन निगम के पद का वेतनमान रू0.. (पंचम वेतनमान) में निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0 2861–मा0सं0–03 / उ0नि0लि0 / 2009–5(5) मा0सं0–03 / 2006 दिनांक: 16 जून, .2009 द्वारा निर्धारित वेतन निर्धारण प्रकिया अनुसार निर्धारण किया जाना स्वीकार है।

2. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि छठे वेतन आयोग के परिप्रेक्ष्य में किया जाने वाला वेतन निर्धारण दिनांक 16.12.2008 से ही स्वीकार होगा।

3. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि संविलीयन की तिथि .... के पूर्व के सभी दावों तथा सेवान्त लाभों के भुगतान हेतु पैतृक विभाग अपट्रॉन इण्डिया लि0 ही उत्तरदायी होगा तथा इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा अपट्रॉन इण्डिया लि0 से ही क्लेम किया जायेगा। मेरे द्वारा संविलीयन तिथि के पूर्व के दावों की कोई धनराशि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 से क्लेम नहीं की जायेगी और न ही उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 इसके लिये उत्तरदायी होगा।